

क्रमांक 333/2/04/मु.मं.मॉनिट (बी)/2019
कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग
जल संसाधन भवन, तुलसी नगर,
भोपाल (म.प्र.)

भोपाल, दिनांक /10/2019

प्रति,

अवर सचिव,
म.प्र.शासन,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय, भोपाल (म.प्र.)

विषय:- सिंचाई योजना से प्रभावित लखनादौन के कृषकों की जमीन की मुआवजा राशि में संशोधन करने बाबत।


- संदर्भ:- 1. म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग का जावक क्रमांक 532/2019/लघु/31 भोपाल, दिनांक 01.06.2019
(सी.एम.मॉनिट-बी क्रमांक 1504/CMS/MLA/117/2019)
2. मुख्य अभियंता, वैनगंगा कछार, जल संसाधन विभाग, सिवनी का पत्र क्रमांक 01/मुम/सिवनी/पार्ट-3/आर/कार्य-19 सिवनी, दि. 17.09.2019

---000000---

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र क्रमांक-1 के माध्यम से सिंचाई योजना से प्रभावित लखनादौन के कृषकों की जमीन की मुआवजा राशि में संशोधन करने के संबंध में संदर्भित पत्र क्रमांक-2 के द्वारा प्राप्त प्रकरण की अद्यतन स्थिति अनुसार कृषकों का आवेदन किसी विशेष योजना से संबंधित नहीं है। सामान्य मांग है। यदि भविष्य में इस क्षेत्र में कोई योजना निर्माण हेतु प्रस्तावित की जावेगी तो वर्तमान प्रचलित प्रावधान अनुसार मुआवजा दिया जावेगा। प्रचलित भू-अर्जन अधिनियम में किसी भी परिवर्तन हेतु शासन (राजस्व विभाग) द्वारा कार्यवाही की जाती है।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

सहपत्र:- उपरोक्तानुसार


(एन.के.परिहार)
अधीक्षण यंत्री (वृहद)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, भोपाल


भोपाल, दिनांक 25/10/2019

पृष्ठा.क्र. 333/2/04/मु.मं.मॉनिट (बी)/2019

प्रतिलिपि:-

✓ कार्यपालन यंत्री, (कार्य), कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, जल संसाधन भवन, तुलसी नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित है।

सहपत्र:- उपरोक्तानुसार


(एन.के.परिहार)
अधीक्षण यंत्री (वृहद)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, भोपाल